

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 36/2020 अंतर्गत धारा-75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2020/00085)

## अनवान:

1. रामलाल पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भोजूसर तहसील सूरतगढ़।

## बनाम

1. मोटाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी भोजूसर तहसील सूरतगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

5.6.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को सुनाया गया।

9/6/24  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर